

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:- गणतंत्र दिवस समारोह-2019 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

आगामी गणतंत्र दिवस समारोह-2019 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं:-

- प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अपनी अनुशंसा सहित संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.12.2018 तक प्रेषित किये जावें।
- जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा परीक्षण व सक्षम स्तर से अनुमोदन (संबंधित मंत्री महोदय) प्राप्त कर विभागीय अनुशंसा के साथ प्रस्ताव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 02.01.2019 तक भिजवाया जावें।
- उक्त प्रस्ताव 8 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियों / कार्यों का उल्लेख अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जावे।
- प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्ट्यां पूर्ण की जावे।
- राज्य स्तरीय समारोह (गणतंत्र दिवस / स्वतंत्रता दिवस) में प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रस्ताव नहीं भेजे जावे तथा यह भी प्रमाणित करें कि पूर्व में प्रशस्ति-पत्र पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।

कृपया उक्त प्रस्ताव दिनांक 02.01.2019 तक उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूरी कर मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें, ताकि यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना ~~संभव नहीं होगा।~~

संलग्न: प्रपत्र।


(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव


समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।

अशा० टीप क्रमांक: प० 25(5)मंस/2018

जयपुर, दिनांक **20 NOV 2018**

प्रतिलिपि:

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज०, जयपुर।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राज०, जयपुर।
- सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
- प्रतिलिपि समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को दिनांक 20.12.2018 तक प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 02.01.2019 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी / सिफारिश के सीधे ही मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी। **राज्य मंत्रिमण्डल**
- विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, मा० मंत्रिगण/एवं संसदीय सचिवगण।
- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज०, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

गणतंत्र दिवस समारोह—2019 के अवसर पर लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक / कला / साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों / संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों / सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या / मोबाईल नं. / ई—मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत / FIR / न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं तो उसका विवरण:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलेक्टर की टिप्पणी:
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:
11. प्रस्तावित व्यक्ति / संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा कैसी है:—

जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक:

गणतंत्र दिवस समारोह-2019 के अवसर पर लोक कलाकारों,आर्टिजन्स, विशिष्ट व्यक्तियों, सामाजिक/कला/साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं एवं खिलाड़ियों इत्यादि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों/ सेवाओं के लिये प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागीय अतिः0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र।

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पता:
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या/मोबाईल नं./ई-मेल आदि सहित)
5. जन्म तिथि:
6. विशिष्ट उपलब्धियों का विवरण:
7. इनके विरुद्ध क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो उसका विवरण:
8. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई है:
9. जिला कलेक्टर की अभिशंषा प्राप्त है अथवा नहीं:
(जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र एवं प्रपत्र की प्रति संलग्न करें)
10. अन्य कोई सुसंगत सूचना:
11. प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था की समाज में सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने के लायक हैं या नहीं?
12. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु वास्तव पात्रता रखते हैं:
13. क्या उक्त व्यक्ति/संस्था को पूर्व में राज्य स्तरीय समारोह (15 अगस्त एवं 26 जनवरी) के अवसर पर प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है, यदि हाँ, तो विवरण अंकित करें।

प्रशासनिक विभाग के अतिः0मुख्य सचिव/प्रमुख
शासन सचिव/शासन सचिव के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक: